न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 181/2025 **निर्णय दिनांकः– 08-04-26**
(जीसीएमएस संख्या 2025/396)

1. मन्जू देवी पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण जाति रंगा (ब्रहामण) निवासी बीकानेर।
–अपीलांट

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।
–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18–08–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री हरीश व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18–08–1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा चक 2 के डब्ल्यु एम के मुरब्बा नम्बर 17/48 की भूमि के लिए बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि आवेदित रकबा पूर्व से ही अन्य किसी व्यक्ति को आवंटन/अविज्ञापित निकला। इसलिए अपीलांट के आवदेन पर कोई विचार नही किया जा सकता। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। यदि अपीलांट को अपीलाधीन अराजी का आवंटन नहीं किया गया है तब भी विशेष आवंटन नियमों के तहत अपीलांट आज भी भूमि पाने का पात्र है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2014–15 सप पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि अविज्ञापित होने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 2 के डब्ल्यु एम के मुरब्बा नम्बर 17/48 की भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आवेदित मुरब्बा पूर्व से ही अन्य किसी व्यक्ति को आवंटन/अविज्ञाप्ति होने के कारण अपीलांट के आवेदन पर आवंटन संबंधी कोई विचार नहीं किया जा सकता। अतः आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। इस बाबत् अपीलांट के पिता/पति को किसी प्रकार की सूचना या सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रेषित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नही किया गया ना ही आदेशिका में नोटिस प्रेषित करने बाबत आदेश किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गजट नोटिफिकेशन की प्रति उपलब्ध नही है। इस स्थिति में इस न्यायालय द्वारा इस बिन्दू पर विनिश्चिय नही किया जा सकता कि प्रश्नगत भूमि गजट में विज्ञापित थी अथवा नही? परन्तु यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सूचित किये उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। यदि प्रश्नगत भूमि गजट में विज्ञापित नही थी तो अपीलांट को इस संबंध में अवगत करवाकर उसे अन्य भूमि हेतु आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाना था। अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस इस बात पर जोर दिया गया कि प्रश्नगत भूमि गजट में प्रकाशित थी और अपीलांट का आवेदन बिना सुनवाई का अवसर दिये गलत रूप से खारिज किया गया है।

आरआरटी 2014–15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत में भी यह अभिधारित किया गया है कि **Application for special allotment was dismissed ex-parte without giving any notice- No opportunity of hearing given- Held, order set aside and the authority is directed to decide the application afresh.** उपरोक्त नजीर प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड़ अधिकारी, पूगल को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस बिन्दू की जांच करे कि क्या चक 2 के डब्ल्यु एम के मुरब्बा नम्बर 17/48 की भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में विज्ञापित थी अथवा नही? यदि यह रकबा दिनांक 18–08–1999 को विशेष आवंटन हेतु गजट में विज्ञापित पाया जावे तो तो अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

निर्णय आज दिनांक ०८.०५.२६ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर